# विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन प्रणाली

## 1. पृष्ठभूमि

अभी तक वार्षिक जिला योजनाएं जिला स्तर पर मुख्यतः जिला योजना समितियों द्वारा तैयार की जा रही है । योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि वर्तमान वर्ष तथा इसके बाद के वर्षों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तथा वार्षिक योजनाएं पंचायत राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों की सक्रिय भागीदारी से बनायी जाएं । इसी कड़ी में ये दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे है । ये दिशा–निर्देश इन इकाइयों को 11 वीं योजना के दौरान वार्षिक योजनाएं बनाने और क्रियान्वित करने में मदद के लिए जारी किये जा रहे हे ।

## 2. उद्देश्य

स्थानीय निकायो और जिला योजना समिति के माध्यम से एक ऐसी योजना का निर्माण जिसमें समाज के सभी वर्गों विशेष तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों, विकलांग और बेसहारा लोगों के हितों को पूरी तरह से ध्यान रखा जाय और जिसका स्वरूप समग्र व समन्वित विकास को सुनिश्चित करना हो।

ग्यारहवी योजना में विकेन्द्रीकृत योजना तैयार करने के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :–

(अ) कृषि तथा संबंद्ध सेक्टर्स, पारंपरिक तथा लघु उद्योगों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि, जिसमें फोकस रोजगार सृजन तथा गरीबी को कम करना ।

(ब) संसाधन प्रबंधन तथा समन्वित ग्रामीण विकास पर जोर ।

(स) स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली बुनियादी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार । इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, रोजगार और अपषिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता पर विशेष जोर।

(द) अधिक सामाजिक भागीदारी, महिला–पुरूष असमानता, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को कम करने के उपाय ।

(इ) स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में सुधार, विशेषकर संवेदनशील, पारदर्शिता, जनभागीदारी तथा प्रबंधन के मामले में ।

(ई) संसाधन उपयोग में स्थानीय निकायों की कुशलता बढ़ाना ।

## 3. संसाधनों का उपयोग

यहां स्थानीय निकायों से अपेक्षा है कि वह योजना बनाते समय संसाधनों के उपयोग की प्रभावी कुशलता एवं समानता पर बल दें । अतः विभिन्न विकल्पों का परीक्षण कर निवेश बहुत ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए ।

यद्यपि वर्तमान में स्थानीय निकायों को ज्यादा संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी स्थानीय विकास की सभी मांगों को पूरा करने के लिए ये पर्याप्त नहीं है, लिहाजा, स्थानीय रूप से भी अतिरिक्त संसाधान जुटाना वांछनीय हैं । यह कार्य अनिवार्य एवं एच्छिक करों का आरोपण एवं प्रभावी वसूली कर तथा उपयोग शुल्क की वसूली कर किया जा सकता है । इसके अलावा विकास परियोजनाओं आदि में स्थानीय लोगों से व्यक्तिगत और सामुदायिक भागीदारी के रूप में अंशदान लिया जा सकता है। बड़ी लागत की तथा लंबे समय तक चलने वाली परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्थानीय निकाय संसाधनों में इजाफा करने के लिए बैंक से कर्ज भी लिया जा सकता है।

## 4. योजना निर्माण में महत्वपूर्ण बिन्दु :–

(अ) स्थानीय निकायों से अपेक्षा है कि वे विकास का एक Vision विकसित करें जो क्षेत्रक (Sectoral) तथा अन्त क्षेत्रक (Cross-sectoral) हो । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (07–12) तथा वार्षिक योजना (08–09) इस प्रकार बनायी जाए ताकि उक्त विजन को निर्धारित समय सीमा में मूर्त रूप दिया जा सके । निकायवार विजन बनाते समय इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि संसाधनों का फैलाव अधिक न हो तथा ऐसे निवेश न लिये जावे जिनमें भविष्य में परिचालन तथा अनुरक्षण लागत स्थानीय निकायों की क्षमता से अधिक होती हो । इस संबंध में यह सुझाव भी है कि इस जिला विकास विजन को तैयार

करने, अमल में लाने के लिए योजनाओं में ऐसे लक्ष्य निर्धारित किये जाएं जिनकी मानीटरिंग हो सके और जिनकी नियमित रूप से पुष्टि हो सकें ।

(ब) हालाकि हर क्षेत्र और हर स्थानीय निकाय की स्थानीय स्तर पर प्राथमिकताएं अलग–अलग होती हैं , फिर भी नीचे सामान्य प्राथमिकताएं बतायी जा रही हैं, जो सिर्फ सुझावात्मक हैं ।

(i) अधिक रोजगार सृजन के लिए एक स्थानीय आर्थिक कोष बनाया जाना चाहिए। इसमें कृषि उत्पादकता तथा मूल्य संवर्धन पर फोकस होना चाहिए । इस हेतु केन्द्र प्रवर्तित/राज्य शासन की क्रियान्वित हो रही योजनाओं का Convergence भी बनाये जा रही दृष्टि योजना में सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

(ii) वर्तमान परिसम्पत्तियों के पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाकर उनका श्रेष्ठतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन परिसम्पतियों में बाजार, स्कूल, अस्पताल, जल आपूर्ति व्यवस्था, लघु सिंचाई प्रणालियां आदि शामिल हो सकती हैं।

(iii) पारंपरिक लघु कुटीर उघोगों के उन्नयन तथा गरीबी उन्मूलन के लिए लगाये जाने वाले लघु उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी जाए । जिला पंचायतों और बड़ी नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों को ऐसी कोशिशें करनी चाहिए जिससे, निजी निवेश भी प्रोत्साहित हो, विशेषकर रोजगार सृजन में ।

(iv) सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को यथासंभव सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए । भूमिहीन परिवारों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

(v) सभी कृषि तथा संबंधित सेक्टरों को वाटरशेड विकास प्रणाली के आधार पर एकीकृत रूप से विकसित किया जाए । ग्राम पंचायते पंचायत संसाधनों एवं गतिविधियों की मेंपिंग का कार्य पूरा करने के लिए कदम उठाएं और इसके लिए आवश्यक धनराशि अलग रखें ।

(vi) नगर पालिकाएं एवं नगर निगम उन विस्तृत नगर नियोजन योजनाओं को प्राथमिकता दें, जो पहले ही मंजूर हो चुकी हैं, एवं अपूर्ण है। वे स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जल आपूर्ति, अपषिष्ट प्रबंधन तथा गंदीबस्ती विकास आदि पर भी विशेष जोर दें ।

## 5. जिला स्तरीय नियोजन की प्रस्तावित प्रक्रिया

(i) जिला स्तरीय नियोजन प्रणाली शुरू करने से पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अब से जिला योजना निम्न योजनाओं के आधार पर तैयार होगी :–

- ⇨ पंचायतों द्वारा बनायी गयी ग्रामीण क्षेत्र की योजना तथा
- ⇨ नगरीय निकायों द्वारा बनायी गयी शहरी क्षेत्रों की योजनाएं

(ii) राज्य योजना मण्डल राज्य स्तर पर जिला नियोजन को सहयोग, निर्देशन और मार्ग दर्शन करेगा ।

(iii) राज्य योजना मण्डल प्रत्येक जिला योजना समिति को प्रतिवर्ष जिला योजना के व्यापक दिशा–निर्देश और प्लान सीलिंग अप्रैल माह के अंत तक बता देगी।

## 5.1. जिला योजना समिति

(i) जिला योजना समिति का यह दायित्व होगा कि वह जिला स्तर पर सक्रिय सभी विभागों के साथ बैठकर यह तय कर ले कि किस विभाग की किस योजना से और किस मद से कितने संसाधन ग्रामीण क्षेत्र में और कितने संसाधन नगरीय क्षेत्र में खर्च होगें । सभी विभाग निर्धारित प्रपत्र में यह जानकारी तैयार करेंगे।

(ii) जिला योजना समिति विशेषज्ञ दल की सहायता से समुदाय की जरूरतों एवम उपलब्ध संसाधनों का विश्लेषण करेंगी। यह विश्लेषण विकास योजनाओं द्वारा उपलब्ध संसाधन, स्थानीय निकायों की क्षमता तथा वर्तमान कार्यभार को ध्यान में रखकर करेगी।

(iii) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में संसाधन आंकलन के बाद जिला योजना समिति नगरीय निकायों और जिला पंचायत को अगले वर्ष की प्लान सीलिंग जून माह के अंतिम कार्य दिवस तक बता दें ।

(iv) जिला योजना समिति और जिला स्तर पर सक्रिय विभाग पंचायत तथा नगरीय निकायों के स्तर पर होने वाले नियोजन के समन्वय और सहयोग की रणनीति बना लें ।

(v) जिला योजना समिति विभागों के साथ मिलकर विकासखण्ड स्तर पर स्थानीय नियोजन के लिए नियोजन सहयोग दल गठित कर दें ।

(vi) नियोजन सहयोग दल में विभागों के कर्मचारियों के अलावा विषय विशेषज्ञ और स्वैच्छिक संस्थानों के विशेषज्ञों को भी आवश्यकता अनुसार शामिल किया जा सकता है ।

(vii) जिला योजना समिति का यह दायित्व होगा कि वह गांव, पंचायत/स्थानीय निकाय की योजनाओं को शासकीय योजनाओं/विभागों के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों से जोड़ने की रणनीति विकसित करें ।

### 5.1.1. नियोजन प्रक्रिया में विभागों की भूमिका

(i) स्थानीय निकायों के द्वारा नियोजन राज्य सरकार के विभागों के सहयोग के बिना संभव नही है। राज्य के वे सभी विभाग जो ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में बसाहट के स्तर पर अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन करते है उन्हें विशेष तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए सभी विभाग अपनी उन योजनाओं को चिन्हित कर ले जो जिला स्तर से नीचे गांव और शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाती है।

(ii) नियोजन से पहले विभागो का क्षेत्रक के आधार पर वर्गीकरण जरूरी होगा। यह क्षेत्रक इस प्रकार होंगे –

| क्षेत्रक | सम्बन्धित विभाग |
|---|---|
| शिक्षा | स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवम व्यवसायिक शिक्षा |
| स्वास्थ्य तथा पोषण | लोक स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवम बाल विकास, खाद्य एवम नागरिक आपूर्ति |
| आजीविका | कृषि उद्यानिकी, वन, पंचायत एवम ग्रामीण विकास, पशुपालन एवम डेयरी, ग्रामोद्योग, उद्योग, सामाजिक न्याय, जल संसाधन, मत्स्य पालन, हथकरघा, सहकारिता, रेशम, योजना, अनुसूचित जाति, |

| | |
|---|---|
| | अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग |
| अधोसंचना प्रबन्धन | लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, ऊर्जा, योजना |
| ऊर्जा प्रबन्धन | ऊर्जा, ग्रामीण विकास, वन, योजना |
| नागरिक अधिकार संरक्षण | भू–सुधार, सामाजिक न्याय श्रम, महिला एवम बाल विकास, राजस्व |

(iii) हर क्षेत्रक का वार्षिक परिस्थिति विश्लेषण पत्रक तैयार किया जाए और उसे स्थानीय निकायों के समक्ष, स्थाई समितियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए।

(iv) परिस्थिति विश्लेषण पत्रक में हर क्षेत्रक के ज्वलन्त सामाजिक मुद्दो, सारोकारों व समस्याओं का विशेष रूप से केन्द्रित करके उल्लेख किया जाए।

(v) परिस्थिति विश्लेषण पत्रक में आधारभूत आंकड़े और क्षेत्रक में पिछले एक वर्ष में हुयी प्रगति तथा पिछली पंचवर्षीय योजना से अब तक हुयी प्रगति को दर्शाया जाए।

(vi) यह परिस्थिति विश्लेषण पत्रक स्थानीय निकायों को मानव विकास तथा जीवन स्तर से जुड़ी चुनौतियों की समझ के आधार पर विकास की रणनीति और योजना बनाने में मदद करेगा।

(vii) परिस्थिति विश्लेषण पत्र तैयार करने में हर क्षेत्रक नियोजन सहायता दल, शिक्षण संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत विषय विशेषज्ञ संस्थाओ का सहयोग भी ले सकते है।

(viii) परिस्थिति विश्लेषण पत्रक यह भी उल्लेख करे कि सहस्त्राब्दि लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्थानीय निकायों का क्या योगदान रहा है।

### 5.1.2. ग्रामीण क्षेत्र में विभागों की भूमिका

(i) ग्रामीण क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली सभी योजनाओं की सूची बनाकर विभाग हर योजना के सामने यह स्पष्ट कर लें कि इसके लिए किस स्तर के पंचायत की क्या भूमिका है।

(ii) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के दिशा–निर्देशों के आधार पर पंचायतों को यह स्पष्ट रूप से बता दें कि उन्हें क्या करना है।

(iii) तीनों स्तरों के बीच काम का बँटवारा इस प्रकार हो –

- ⇨ गांव अपनी समस्याओं और जरूरत के आधार पर गतिविधि तय करें।
- ⇨ जनपद तथा जिला पंचायत यह तय करे कि कौन सी गतिविधि किस योजना से संचालित की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी का काम कृषि विभाग की योजनाओं, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, जल संसाधन विभाग की योजनाओं के मध्य समन्वय से सम्पन्न हो सकता है।
- ⇨ जनपद पंचायत तथा विकास खण्ड स्तर पर सक्रिय विभाग ग्राम द्वारा चयनित गतिविधि के लिए संभावित योजनाओं और विभागों की पहचान करें।
- ⇨ जिला पंचायत और विभाग चयनित गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन और लक्ष्य प्राप्ति के लिए समन्वय की रणनीति विकसित करें।
- ⇨ विभागों का यह दायित्व भी है कि वे केन्द्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं के दिशा–निर्देशों के आधार पर पंचायतों की स्थाई समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करें और वास्तविक नियोजन के समय स्थानीय निकायों को उचित सहयोग करें।

### 5.1.3. नगरीय क्षेत्रों में विभागों की भूमिका

(i) नगरीय क्षेत्र में कार्यरत विभाग अपनी योजनाओं और गतिविधियों की सूची बना लें।

(ii) योजनाओं के दिशा–निर्देशों के आधार पर स्थानीय निकाय तथा उसकी स्थाई समितियों के लिए नियोजन पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(iii) नियोजन के समय नगरीय निकाय को उचित सहयोग देना ताकि नियोजन की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके।

## 5.2. ग्राम सभा के स्तर पर नियोजन

(i) ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत नियोजन राजस्व या वन ग्राम के स्तर पर होगा।

(ii) गांव में नियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की स्थाई समिति की होगी।

(iii) ग्राम सभा की स्थाई समिति और प्रत्येक गांव (राजस्व या वन) के पंचों को मिलाकर ग्राम स्तर पर नियोजन दल का गठन होगा ।

(iv) प्रत्येक गांव के नियोजन दल में पंच, स्थाई समिति के सदस्य, गांव के स्व–सहायता समूह के सदस्य, पालक शिक्षक संघ और अन्य सक्रिय संस्थाओं के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है ।

(v) ग्राम नियोजन दल में विषय विशेषज्ञों, स्वैच्छिक रूप से समय देने वाले वर्तमान या सेवानिवृत्त अभियंताओं, अध्यापकों, पशु विशेषज्ञों आदि को भी शामिल किया जाना उचित होगा ।

(vi) गांव नियोजन दल गांव के सभी वर्गों से चर्चा करके गांव के विकास का दृष्टिकोण (Vision of Development) तैयार करेगा ।

(vii) ग्राम नियोजन दल गांव की विस्तृत वार्षिक कार्य योजना का निर्माण करेगा ।

(viii) गांव की कार्य योजना निम्न क्षेत्रों/विषयों की परिस्थिति विश्लेषण के आधार पर बनायी जाएगी :–

- ⇨ शिक्षा
- ⇨ स्वास्थ्य, पोषण एवं खाद्यान्न सुरक्षा
- ⇨ आजीविका जिसमें कृषि, कृषि विकास, मजदूरी, वनोपज संग्रहण, रोजगार, पशुपालन डेयरी, उद्यानिकी, लघु तथा कुटीर उद्योग आदि शामिल है ।
- ⇨ प्राकृतिक संसाधन जिसमें वन एवं वन प्रबंधन, भूमि एवं भूमि प्रबंधन, जल एवं जल प्रबंधन तथा लघु खनिज संसाधन का दोहन एवं प्रबंधन शामिल है ।
- ⇨ उर्जा, ईधन तथा वैकल्पिक उर्जा
- ⇨ ग्रामीण अधोसंरचना जिससे गांव की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानव संसाधन विकास से जुड़ी परिस्थितियों में सुधार तथा सकारात्मक बदलाव हो ।
- ⇨ संस्थागत संरचनाएं और उनका प्रबंधन
- ⇨ गांव की परिस्थितियों से जुड़े अन्य विषय

(ix) हर गांव में नियोजन सहायता दल, गांव की अलग–अलग बसाहट पर पुरूष तथा महिलाओं के समूहों से पहले अलग–अलग स्तर पर चर्चा करके इन चर्चाओं के आधार पर निम्न काम करेगा :–

- ⇨ परिस्थिति विश्लेषण (प्रत्येक विषय पर)
- ⇨ समस्याओं का आंकलन
- ⇨ संसाधन की उपलब्धता के अनुमान के आधार पर गांव की समस्याओं के हल के लिए गतिविधि चयन
- ⇨ गतिविधि चयन के आधार पर वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना

(x) गांव की कार्य योजना निर्माण में निम्न वर्गो के लिए अलग से कार्ययोजना का निर्माण किया जाएगा।

- ⇨ अनुसूचित जाति

- ⇨ अनुसूचित जनजाति
- ⇨ विषेष पिछड़ी जनजाति
- ⇨ महिलाएँ
- ⇨ बच्चे
- ⇨ विकलांग
- ⇨ वृद्ध एवम बेसहारा

| विभिन्न वर्गो की समस्याएँ और प्राथमिकता | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्र.** | **विषय** | **अ.जा.** | **अ.ज.जा.** | **महिलाएँ** | **बच्चे** | **वृद्ध** | **बेसहारा** |
| 1. | शिक्षा | | | | | | |
| 2. | स्वास्थ्य | | | | | | |
| 3. | आजीविका | | | | | | |
| 4. | अधोसंरचना | | | | | | |
| 5. | साफ–सफाई एवं कचरा प्रबंधन | | | | | | |
| 6. | जल निकासी एवं जल प्रबंधन | | | | | | |

(xi) इन वर्गो के लिए बनाई जाने वाली योजना में नियोजन के लिए सुझाए गए बिन्दुओं के साथ–साथ इन वर्गो की विशिष्ट परिस्थितियों और समस्याओं के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट योजना भी बनायी जाएगी।

(xii) विशिष्ट वर्गो के लिए बनायी जाने वाली योजना में इन वर्गो/के विषयों से जुड़े विभाग तथा संस्थाएँ विशेष सहयोग करेंगे।

(xiii) ग्राम नियोजन सहायता दल ग्राम की प्रस्तावित योजना को बनाकर पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति को सौपेंगी ।

(xiv) ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति योजना को चर्चा एवं अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

(xv) ग्राम सभा इस प्रस्तावित योजना पर चर्चा करके इसे एक सप्ताह में अनुमोदित कर ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति को वापस करेगी ।

## 5.2.1. नियोजन की प्रक्रिया

स्थायी/तदर्थ समिति द्वारा कम से कम 5 दिन या जरुरत के आधार पर 10 दिन के भीतर एक प्रक्रिया के तहत ग्राम योजना (परिस्थिति विश्लेषण व प्रस्तावित योजना) के ऊपर आम सहमति बनाना तथा सदस्यों के बीच कार्य व जिम्मेदारियों का विभाजन एवं दिनांक वार गतिविधि पर सहमति लेना जरुरी होगा।

**प्रथम दिन** : शून्यकाल गतिविधि : स्थायी व तदर्थ समिति द्वारा पंचायत के सभी राजस्वग्राम में संबोधन बैठकों का आयोजन जिसमें ग्राम योजना के आरम्भ की सूचना तथा प्रक्रिया का विवरण दिया जाना आवश्यक होगा जिससे कि स्थानीय निवासियों को योजना निर्माण में शामिल किया जा सके।

**द्वितीय दिन** : स्थानीय समुदाय के घटको (महिला/पुरूष बच्चे, आदिवासी व दलित वर्ग) के साथ विकास के मुख्य विन्दुओं पर चर्चा करना तथा समस्या का प्राथमिकीकरण (समस्याओं की सूची तथा रैकिंग) किया जाना है।

**तृतीय दिन** : समस्या प्राथमिकीकरण की सूची के ऊपर समूह चर्चा का आयोजन तथा उनके कारणों की पहचान करना एवं कारणों को दूर करने के लिए गतिविधि का प्रस्ताव करना सुनिश्चित किया जाये।

**चौथा दिन** : स्थायी/तदर्थ समिति ग्राम का आयोजन कर समस्या प्राथमिकीकरण व प्रस्तावित समाधान गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करना तथा उस पर आम सहमति बतायेगी सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य का प्रबंधन व रख–रखाव एवं उससे होने वाले लाभ पर विशेष चर्चा की आवश्यकता होगी। जिसका विवरण योजनाओं में आवश्यक होगा।

**पाँचवा दिन** : प्रस्तावित कार्ययोजना, बजट व समय सीमा का प्रस्तुतीकरण व अनुमोदन सभी पंचायत के सभी ग्रामों के निवासियों की सहमति से अनुमोदित होना आवश्यक

होगा। पंचायत सचिव के माध्यम से अनुमोदित योजना की प्रतिलिपि जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन की समिति को समेकन व अनुश्रवन हेतु भेजना आवश्यक होगा। (प्राप्ति की रसीद अवश्य प्राप्त करें)।

पाँचवें दिन के सत्र में पंचायत व पंचायत में आने वाले सभी ग्रामों से ऐसे दो सदस्यों का चुनाव जो योजना क्रियान्वयन व अनुश्रवण की जिम्मेदारी लें सुनिश्चित करना होगा।

### 5.2.2. <u>पंचायत स्तर पर नियोजन</u>

(i) ग्राम पंचायत मुख्य रूप से ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित कार्य योजनाओं के समेकन के आधार पर ग्राम पंचायत की कार्य योजना तैयार करेगी ।

(ii) ग्राम पंचायत क्षेत्र की दो या दो से अधिक ग्राम सभाओं के समान हित से जुड़े विषयों पर ग्राम पंचायत दोनों ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में चर्चा कर योजना का युक्तियुक्तकरण करेगी । समान हित के विषय निम्न हो सकते हैः–

(अ) जल ग्रहण क्षेत्र विकास

(ब) वन विकास

(स) सामाजिक हितों से जुड़ी संरचनाएं जैसे माध्यमिक शाला, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सड़क, पुलिया आदि जैसी सामूहिक अधोसंरचना का विकास

(द) विद्युत तथा ऊर्जा के अन्य क्षेत्र

(य) जंगली पशुओं से खेती की रक्षा

(र) महामारी के फैलाव पर रोक

(ल) अन्य परिस्थिति विशेष मुद्दे

(iii) ग्राम पंचायत समेकित योजना के आधार पर अपनी निधि से संभावित उपलब्धता के आधार पर बजट का आबंटन करके संबंधित ग्राम सभाओं को सूचित करेगी । यह सूचना अपने स्वयं के स्रोतों से प्राप्त संसाधन और सरकारी योजनाओं के संसाधन के बंटवारे के आधार पर अलग–अलग सूचित किया जाएगा

(iv) ग्राम पंचायत द्वारा समेकित योजना जनपद पंचायतों को इस आशय के साथ भेजी जाएगी, ताकि जनपद पंचायत प्रस्तावित योजनाओं को उचित वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सके ।

(v) जनपद पंचायतें भी ग्राम पंचायतों से प्राप्त योजनाओं का समेकन करके जनपद पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना को तैयार करेंगी ।

(vi) जनपद पंचायत भी दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों के बीच सामान्य हित के विषय पर योजनाओं में दोहराव को रोकने और बेहतर प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत के कार्य योजना को सुसंगत बनाने का काम करेगी ।

(vii) इसी प्रकार जिला पंचायत, जनपद पंचायत से प्राप्त योजनाओं को सुसंगत बनाने के साथ जिला ग्रामीण विकास योजना तैयार करेगी ।

(viii) जिला पंचायत, जनपद पंचायतों की कार्य योजना का समेकन करके अपनी स्थाई समितियों के माध्यम से पंचायत सेक्टर के विभागों, जिले के स्तर पर सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओ और विषय–विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श करके जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ड्राफ्ट विकास योजना तैयार करेगी।

(ix) जिला पंचायत द्वारा तैयार ड्राफ्ट विकास योजना को अनुमोदन के बाद जिला योजना समिति समन्वित ड्राफ्ट जिला विकास योजना में शमिल करने के लिए भेज दिया जाएगा।

## 5.3. नगरीय योजनाओं का निर्माण

(i) नगरीय निकाय पंचायतों की तरह एक–दूसरे से संबंद्ध नहीं है और पूर्ण रूप से स्वतंत्र है ।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों की तरह नगरीय क्षेत्रों में भी योजना सहायता दल का गठन किया जाएगा ।

(iii) नगरीय योजना सहायता दल को अलग–अलग निकायों में अलग–अलग स्तर पर निम्नासुनार गठित किया जाए ।

⇨ नगर निगम – मोहल्ला स्तर पर

- ⇨ नगर पालिका – वार्ड स्तर पर
- ⇨ नगर पंचायत – संपूर्ण नगर पंचायत स्तर पर

(iv) सहयोग दल में नगरीय नियोजन के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, ठोस अपषिष्ट प्रबंधन के विशेषज्ञ नगरीय क्षेत्रों में जल प्रबंधन के विशेषज्ञ आदि शामिल हो। नगरीय क्षेत्र की विशिष्ट समस्या के विषय विशेषज्ञ भी शामिल हो। नगरीय योजना सहायता दल में शिक्षा, स्वास्थ्य शहरी आजीविका, शहरी संसाधन प्रबंधन, शहरी संस्थागत संरचना तथा शहरी अधोसंरचना से जुड़े विषय विशेष तथा विभागों के कर्मचारियों को शामिल किया जाए ।

(v) नगरीय योजना सहायता दल में अवकाश प्राप्त कर्मचारियों, अभियंताओं तथा अन्य इच्छुक लोगों को उचित स्थान दिया जाए ।

(vi) नगरीय क्षेत्र की योजना का निर्माण करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए करें –

- ⇨ शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा तथा प्रशिक्षण
- ⇨ सार्वजनिक परिवार प्रणाली
- ⇨ नगरीय सुरक्षा
- ⇨ स्वास्थ्य, पोषण तथा खाद्य सुरक्षा
- ⇨ शहरी साफ–सफाई तथा कचरा प्रबंधन
- ⇨ पीने के पानी की व्यवस्था तथा प्रबंधन
- ⇨ शहरी क्षेत्रों में व्यापार विकास
- ⇨ शहरी क्षेत्रों में रोजगार विकास
- ⇨ शहरी क्षेत्रों में वृद्ध, विकलांग तथा अन्य समाजिक कल्याण
- ⇨ शहरी अधोसंरचना निर्माण
- ⇨ शहरी क्षेत्रों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ समन्वय तथा विकास

(vii) सभी प्रकार की बस्तियों और सभी वर्गो की परिस्थिति विश्लेषण के आधार पर बनी योजनाओं को समेकित करके नगरीय क्षेत्र की कार्य योजना बनेगी।

(viii) नगरीय क्षेत्रों द्वारा वार्ड/मोहल्ला स्तर पर बैठक और चर्चा के बाद गतिविधि फायनल की जाएगी ।

(ix) नगरीय क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना निर्माण के समन्वय तथा मार्ग निर्देशन का काम नगरीय निकायों की स्थाई समितियाँ करेगी।

(x) वार्डो द्वारा निर्मित वार्षिक कार्य योजना का समेकन स्थाई समितियों द्वारा निकाय स्तर पर किया जाएगा।

(xi) समेकित कार्य योजना का अनुमोदन नगरीय निकाय की सामान्य सभा द्वारा किया जाएगा।

(xii) नगरीय निकाय द्वारा अपनी कार्य योजना बनाते समय निम्न वर्गो की जरूरतों/हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा –

- ⇨ झुग्गी तथा मलिन बस्ती के लिए अलग से कार्य योजना का निर्माण इन बस्तियों में चर्चा करके
- ⇨ अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्गो के लिए विशेष कार्य योजना का निर्माण
- ⇨ शहरी क्षेत्र के बच्चों के समस्या विश्लेषण के आधार पर बच्चों के लिए विशिष्ट कार्य योजना का निर्माण
- ⇨ शहरी क्षेत्र में महिलाओं की परिस्थिति विश्लेषण के आधार पर उनके लिए विशिष्ट कार्य योजना का निर्माण
- ⇨ शहरी क्षेत्र में विकलांगों के लिए विशिष्ट कार्य योजना का निर्माण
- ⇨ शहरी क्षेत्र में बेसहारा वृद्ध तथा अन्य ऐसे लोगो के लिए कार्य योजना निर्माण जिनके लिए समाज में स्वतः सुरक्षा उपलब्ध नही है

(xiii) यहां पर यह ध्यान देना जरूरी है कि योजना निर्माण में जीवन को प्रभावित करने वाले विषय और समाज के विभिन्न वर्ग दोनो साथ–साथ चलेंगे। इसे नीचे बनायी गयी सारणी से स्पष्ट किया गया है –

| विभिन्न वर्गो की समस्याएँ और प्राथमिकता | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | विषय | अ.जा. | अ.ज.जा. | महिलाएँ | बच्चे | वृद्ध | बेसहारा |
| 1. | शिक्षा | | | | | | |
| 2. | स्वास्थ्य | | | | | | |
| 3. | आजीविका | | | | | | |
| 4. | अधोसंरचना | | | | | | |
| 5. | साफ–सफाई एवं कचरा प्रबंधन | | | | | | |
| 6. | जल निकासी एवं जल प्रबंधन | | | | | | |

(xiv) नगरीय निकायों की योजना में गतिविधि के समक्ष उनके वित्तीय संसाधनों (स्वयं के संसाधनों एवम सरकार से प्राप्त संसाधनों) का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा

## 6. स्थानीय निकायो से योजना प्राप्त होने के बाद जिला योजना समिति की भूमिका

(i) जिला योजना समिति ग्रामीण एवम नगरीय निकायो से प्राप्त ग्रामीण एवम नगरीय योजनाओ पर चर्चा एवम समेकन का काम अपनी स्थाई समितियो के माध्यम से करेगी। उप समितियां जरूरत के आधार पर विषय विशेषज्ञों का सहयोग और मदद समेकन में ले सकती है

(ii) स्थाई समितियों के सामान्य सदस्यों के साथ–साथ जिले के स्तर पर सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओ और विषय विशेषज्ञों को अनिवार्य रुप से विशेष आमंत्रित सदस्य के रुप में शमिल किया जाएगा

(iii) जिला योजना समिति नगरीय एवम ग्रामीण क्षेत्र के प्रस्तावों पर चर्चा करके यह तय करेगी कि

(iv) उप समितियों के पास आयी योजनाओं और गतिविधियों में इस बात की समीक्षा कर लें कि प्रस्तावित गतिविधियों के लिए संसाधन किस विभाग और किस

योजना से उपलब्ध कराए जा सकते है। इस का मुख्य उद्देष्य यह है कि वित्तीय एवम भौतिक संसाधनों का कनवरजेंस सुनिश्चित हो।

**1)** स्थानीय निकायो की योजनाओ से किस तरह की गतिविधियां निकली है

**2)** गतिविधियों को किस तरह के सहयोग की जरुरत है

**3)** गतिविधियो के क्रियान्वयन में किसकी क्या भूमिका होगी

**4)** कौन सी गतिविधियां राज्य आयोजना से पूरी होगी

**5)** गतिविधियों के क्रियान्वयन के अनुश्रवण (मानिटरिग) का आधार क्या होगा

(v) जिला योजना समिति समन्वित जिला योजना बना कर नगरीय तथा ग्रामीण निकायों को यह सूचित करेंगी कि उनकी योजनाओं में किसकी क्या भूमिका होगी।

## विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए संभावित निधियों की उपलब्धता की सूचना के लिए समय सारणी

### 1. स्थानीय निकायों को संभावित निधियों की उपलब्ध सूचित करने के लिए समय सारणी

| क्रम संख्या | गतिविधि | अंतिम तिथि |
|---|---|---|
| 1. | राज्य योजना मण्डल द्वारा जिला योजना समिति को निधियों की संभावित उपलब्धता की सूचना । | 30 अप्रैल तक |
| 2. | जिला योजना समिति द्वारा नगरीय निकायो और जिला पंचायत को निधियों की संभावित उपलब्धता की सूचना । | 7 मई तक |
| 3. | जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को निधियों की संभावित उपलब्धता की सूचना | 15 मई तक |
| 4 | जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को निधियों की संभावित उपलब्धता की सूचना | 21 मई तक |
| 5 | ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा को निधियों की संभावित उपलब्धता की सूचना | 30 मई तक |

## 2. ग्रामीण निकायो के नियोजना की समय सारणी

| क्र. | विशिष्टियां | विहित प्राधिकारी | सबसे अंतिम तारीख जिस तक कार्यवाही पूर्ण की जाना है |
|---|---|---|---|
| 1. | ग्राम सभा को निधियों की संभावित उपलब्धता की सूचना | ग्राम, जनपद, जिला पंचायत और संबंधित विभागों द्वारा | प्रतिवर्ष 30 मई तक |
| 2. | ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायतयोजना में शामिल करने के लिए भेजना | ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत को | प्रतिवर्ष 30 जून तक |
| 3. | ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना जनपद पंचायत को जनपद पंचायत योजना में शामिल करने के लिए भेजना | ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत को | प्रतिवर्ष 15 जुलाई तक |
| 4. | जनपद पंचायत द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना जिला पंचायत को जिला पंचायत योजना में शामिल करने के लिए भेजना | जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत को | प्रतिवर्ष जुलाई का अंतिम दिन |
| 5. | जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना जिला योजना समिति को जिला योजना में शामिल करने के लिए भेजना | जिला पंचायत द्वारा जिला योजना समिति को | प्रतिवर्ष अगस्त का अन्तिम दिन |

## 3. नगरीय निकायो के नियोजन की समय सारणी

| क्रम संख्या | गतिविधि | अंतिम तिथि |
|---|---|---|
| 1. | राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं जिला योजना समिति द्वारा नगरीय निकायों की निधियों की संभावित उपलब्धता की सूचना । | 30 अप्रैल तक |
| 2. | नगरीय निकायों की स्थायी समितियों द्वारा आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्य योजना तैयार करना तथा निकाय को प्रस्तुत करना। | 30 मई तक |
| 3. | अनुमोदित योजना को जिला योजना समिति को प्रेषित करना । | 15 जून तक |